



पत्रांक सं०: 16/6

/ 12-1

दिनांक 14/ 12/2020

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।

विषय :- जनपद-टिहरी गढवाल के विधान सभाग क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल-घण्डियाल (मयाली) जू०हा० स्कूल डाण्डा मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 1.40 हे० वन भूमि का गैर वानकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/41397/2019

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक-०८बी/यू०सी०पी०/०६/११३/२०२०/एफ०सी०/१४१८ दिनांक २६-११-२०२०।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विषयक हिण्डोलाखाल-घण्डियाल (मयाली)जू०हा० स्कूल डाण्डा मोटरमार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों के अधीन जारी की गयी है, उल्लेखित शर्तों के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

- 1- शर्त संख्या-01 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2- शर्त संख्या-02 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।
- 3- शर्त संख्या-03 (क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 2.8 हे० ग्राम-भैंसकोट खसरा संख्या-19 एवं 26 सिविल सोंयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु मु० 09,44,115.00 धनराशि जमा करनी होगी। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-क-972/3-5-2(II) दिनांक 21-11-2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2020-21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण -

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि -	1.40 X 2 = 2.80 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे०-	3,37,184.00 प्रति हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-	2.80 X 3,37,184.00 = 09,44,115.20
	या 09,44,115.00

शर्त संख्या-03 (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-गंगल्सी सिविल की गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गार्ड लाइन पैरा-2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

शर्त संख्या-03 (ग) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्ण में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

- 4- शर्त संख्या-04 (क) के अनुपालन में एन०पी०वी० के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.4 हे० हेतु @ 6,57,000.00 प्रति हे० की दर से मु० 09,19,800.00 धनराशि धनराशि जमा करनी होगी। एन०पी०वी० की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

“प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है” :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.10 Open Forest
एन0पी0वी की दर प्रति हे0-	मु0 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.40 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-	1.40 हे0 X 6,57,000.00 = 09,19,800.00

शर्त संख्या- 04 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

- 5- **शर्त संख्या-05** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 32 वृक्षों से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
- 6- **शर्त संख्या-06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से ही मान्य होगी।
- 7- **शर्त संख्या-07** के अनुपालन में गार्डर्डलान्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा-11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8- **शर्त संख्या-08** के अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- **शर्त संख्या-09** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
- 10- **शर्त संख्या-10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 11- **शर्त संख्या-11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 12- **शर्त संख्या-12** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 13- **शर्त संख्या-13** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 14- **बिन्दु संख्या-14** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

7

- 15- **बिन्दु संख्या-15** के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार करवाकर प्रॉक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जमा करना होगा।
- 16- **शर्त संख्या-16** के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- 17- **शर्त संख्या-17** के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 18- **शर्त संख्या-18** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 19- **बिन्दु संख्या-19** के अनुपालन में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या-11-42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
- 20- **बिन्दु संख्या-20** के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है जो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।
- 21- **शर्त संख्या-21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी।
- 22- **शर्त संख्या-22** के अनुपालन में प्रयोक्ता यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 23- **बिन्दु संख्या-23** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर भी अपलोड की जानी होगी।


 उप वन संरक्षक,
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- / दिनांकित

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी, माणिकनाथ/कीर्तिनगर राजि को इस निर्देश के साथ कि वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें तथा बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि का आर0सी0सी0 पल्लिरों द्वारा सीमांकन का प्रॉक्कलन की प्रति उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अविलम्बा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


 उप वन संरक्षक,
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।